न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

इन्द्रादेवी बनाम राज0 सरकार

प्रकरण सं0 – 2021/956 (CXMS)

अन्तर्गत धारा– 136 एल.आर.एक्ट

11.11.2021 प्रार्थी इन्द्रादेवी पत्नी भूपराम जाति सुनार साकिन 8 पीएसडी–बी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम से जमाबन्दी में दर्ज चक 6 डीओएल–बी के मु0 नं0 73/63 की 6.200 है0 व प0 नं0 74/43 की 4.301 है0 कमाण्ड/अ0क0 दर्ज रिकॉर्ड रकबे की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार रावला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 6 डीओएल–बी के प0 नं0 73/63 के किला नं0 1 ता 25 की 6.200 एवं प0 नं0 74/43 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 12, 17 ता 25 की 4.301 है0 इस प्रकरण कुल 10.501 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबा इन्द्रदेवी पत्नी भूपराम जाति सुनार साकिन 8 पीएसडी–बी खातेदार रहन SBI शाखा रावला मण्डी दर्ज रिकॉर्ड है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय घड़साना की सीएडी रिपोर्ट संख्या 1215 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार स्वीकृत सीएडी स्कीम अस्थायी क्रमांक 1339–41 दिनांक 17.06.1986 के अनुसार चक 6 डीओएल–बी के मु0 नं0 74/43 के किला नं0 2/0.33, 3, 8, 9/0.33, 16 कुल 3.66 बीघा रकबा कमाण्ड है। प्रार्थी सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6–ए व वनविमाग से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर जमाबन्दी में सीएडी अनुसार दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार रावला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थी की भूमि में 3.66 बीघा अ0क0 से कमाण्ड हो चुकी है। अतः यदि किसी न्यायालय में स्थगन/विवाद ना हो तो नियमानुसार जांचकर प्रार्थी से सीएडी सर्वे अनुसार नियमानुसार अन्तर राशि जमा करवाकर सीएडी सर्वे अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रावला को पालना के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना